# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 17 / 2013 प्रा.पत्र / 2013 | 11.10.2013 | 04.09.2025 |

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन जाति महाजन निवासी अरावली बैंक के पास माणक चौक मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।

2–मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक

3–श्री गोपीचन्द यादव निवासी 36, खाटोडिया की ढाणी, बक्सा वाला ग्रामीण, तहसील सांगानेर, जयपुर राज. प्रोपरयटर मैसर्स अमित एन्टरप्राईजेज, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयुपर।

4–मैसर्स अमित एन्टरप्राईजेज, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयुपर।

5–श्री जितेन्द्र सिंह वार्ड नं. 6, फतेपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान प्रोपरायटर मैसर्स श्री जय श्री एग्रो फूड प्रोडक्ट 1–बी–40 अग्रसेन टावर प्रथम सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयुपर राजस्थान।

6–मैसर्स श्री जय श्री एग्रो फूड प्रोडक्ट 1–बी–40 अग्रसेन टावर प्रथम सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयुपर राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51**

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री जितेन्द्र जैन

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 व 4 श्री शंकर चौधरी

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 व 6 श्री दिनेश कुमार शर्मा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 04/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.03.2013 को समय 12:00 पी.एम. पर मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ दुकान में कागज के कार्टूनों में 500 एम.एल. पैक की 96 डिब्बे/पैकेट व एक लीटर पैक के 64 डिब्बे/पैकेट **माईल्ड फैट प्रोपरायटरी फूड (श्री भोग गोल्ड ब्राण्ड)** रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **माईल्ड फैट प्रोपरायटरी फूड (श्री भोग गोल्ड ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1-1 लीटर के 4 मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **माईल्ड फैट प्रोपरायटरी फूड (श्री भोग गोल्ड ब्राण्ड)** 1-1 लीटर के 4 मूल पैक को चार डिब्बों में अलग-अलग प्रत्येक डिब्बे में 1-1 मूल पैक रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-450 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-450 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स अमित एन्टरप्राईजेज, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर का बिल पेश किया। मैसर्स अमित एन्टरप्राईजेज ने मैसर्स श्री जय श्री एग्रो फूड प्रोडक्ट 1-बी-40 अग्रसेन टावर प्रथम सेन्ट्रल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्पाईन, विद्याधर नगर, जयुपर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/1549 दिनांक 10.04.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/77/एफएसएसए/2013/77 दिनांक 21.03.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **माईल्ड फैट प्रोपरायटरी फूड (श्री भोग गोल्ड ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zz)(v) के अनुसार **असुरक्षित स्तर (Unsafe)** एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध श्री ओमप्रकाश जैन ने पुनः जांच करवाने हेतु निवेदन किया। अतः उक्त नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक निर्दिष्ट प्रयोगशाला कोलकाता को प्रेषित किया गया।

श्रीमान निदेशक निर्दिष्ट प्रयोगशाला कोलकाता द्वारा अभिहित अधिकारी, टोंक को प्राप्त पत्र कमांक जी.14–12/डी.ओ./2013–506 दिनांक 04.09.2013 एवं फार्म–ए,सर्टिफिकेट नं. जी.14–12/डी.ओ./2013–506 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **माईल्ड फैट प्रोपरायटरी फूड (श्री भोग गोल्ड ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया है जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। मात्र कुछ स्तरों पर यह मानकों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **माईल्ड फैट प्रोपरायटरी फूड (श्री भोग गोल्ड ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **माईल्ड फैट प्रोपरायटरी फूड (श्री भोग गोल्ड ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चुंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/9/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0